५०

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1766–एक/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 306/1992–93 अपील

सुरेन्द्र सिंह पुत्र वृजराज सिंह दत्तक पुत्र
रामराज सिंह चौहान ग्राम पनवार चौहानन
तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

1– शिवराज सिंह 2– राजमणि सिंह
3– अनोखे लाल सिंह 4– राजकुमार सिंह
चारों पुत्रगण छोटेलाल सिंह सभी निवासी
ग्राम पनवार चौहानन तहसील गोपदबनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदक के श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक)
(अनावेदकगण के श्री एस0के0बाजपेयी अभिभाषक)

आ दे श
(आज दिनांक - 11 – 01 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 306/1992–3 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–6–01 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है मृतक रामराज सिंह व्दारा अनावेदक के हित में लिखी गई बसीयत दिनांक 3-7-81 के आधार पर मृतक रामराज सिंह की भूमि कुल किता 10 पर नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने उसके पक्ष में लिखे गये गोदनामा दिनांक 30-4-81 को प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग की। नायव तहसीलीदार गोपदबनास ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 25-6-1992 पारित किया तथा बसीयतनामा प्रमाणित होने से अनावेदक का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 70/91-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-2-93 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-6-92 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 306/1992-3 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-01 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश दिनांक 8-2-93 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-6-92 यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 25-6-01 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 25-6-01 में निम्नानुसार विवेचना कर निष्कर्ष दिया है -

" गोदनामा के समय उत्तरवादी सुरेन्द्र सिंह की उम्र 25 वर्ष दर्शायी गई है तथा वह शादीशुदा भी था। गोदनामा की कार्यवाही अवयस्क बच्चे के लिये की जाती है 25 वर्ष के पूर्ण वयस्क उत्तरवादी सुरेन्द्र सिंह को दत्तक पुत्र होने की पात्रता नहीं है। "

हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 में प्रावधान है कि 15 वर्ष से अधिक आयु का दत्त मान्य नहीं है। मधु बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू A.I.R. 2013 राजस्थान 35 का न्याय दृष्टांत है कि याचिकाकार यह प्रमाणित करने मे विफल रहा था, जिस समय उसको दत्तक में दिया गया वह अवसयस्क था अथवा उसकी आयु 15 वर्ष से कम थी। दत्तक विधि मान्य नहीं होगा। इसी आशय के न्याय दृष्टांत नारायण दास बनाम भारत सिंह 1997 (2) विधि भावर 160 म0प्र0 एंव 976 जे0एल0जे0 424 में है कि 15 वर्ष से अधिक आयु का दत्त मान्य नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के हित में संपादित दत्तकनामा विलेख अनुसार दत्तकग्रहण के समय उसकी आयु 25 वर्ष थी एंव वह विवाहित था जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 25-6-01 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 306/1992-3 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-6-01 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर